निरीक्षण आख्या

दिनांक 20.03.2015 को जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 धारचूला द्वारा प्रस्तावित टनकपुर– **तवाघाट मोटर मार्ग से रॉथी प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण** किया गया। मार्ग की **कुल ल0 20.425 किमी0 है।** निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग से रॉथी तक पूर्व में ही लो0नि0वि0 द्वारा मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु इसकी स्थिति अच्छी नही है। पी0एम0जी0एस0वाई0 धारचूला के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस मार्ग से रॉथी गांव के अन्तर्गत पडने वाले **कुल 8 ग्रामों (तोक), लुरकोट, कुरखेती, बोरागांव, दायर, पौसेरी आदि** जुड़े हुए न होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप इन ग्रामों (तोक) को जोडने की बाध्यता के कारण यह मार्ग स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुरूप जो रेखाकंन प्रस्तावित किया गया है उसमें मार्ग निर्माण कार्य लुरकोट से प्रारम्भ कर विभिन्न तोकों से होते हुए रांथी तक निर्मित किया जाना है।

प्रस्तावित रेखाकन में बाज के **कुल 1190 वृक्ष प्रभावित** होना सूचित किया गया है, जिसमें **692 वृक्ष पंचायती वन में व शेष 498 वृक्ष नाप भूमि** में चिन्हित किये गये है। पंचायती वन में स्थित वृक्ष मुख्य रूप से **किमी0 संख्या 6 से 20 के मध्य स्थित है।** निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित रेखाकंन के अनुरूप मार्ग निर्माण हेतु इन वृक्षों का पातन अपरिहार्य है।

24/03

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 2156 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 24.03.2015.

प्रतिलिपि – निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुर्नगणना कर संशोधित स्थिति/प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, धारचूला ।

24/03

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।